न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 24/2018

RCMS No. : 2018/00042

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
दिलीपसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली		1 गणेशराम पुत्र श्री जीवनराम गुर्जर, मैसर्स – देवनारायण किराणा स्टोर, बस स्टेण्ड, पटवार भवन के पास जाडन,, जिला पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

उपस्थित :–
खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनुपस्थित।
अप्रार्थी गणेशराम की ओर अधिवक्ता श्री श्रवणसिंह चौहान

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राजस्थान)

–: निर्णय :–

दिनांक - 17.11.21

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी में पदस्थापित है। दिनांक 07.03.2017 को दौराने गश्त अप्रार्थी गणेशराम की फर्म मैसर्स अल्केश मैसर्स देवनाराण किराणा स्टोर, बस स्टेण्ड, पटवार भवन के पास जाडन, जिला पाली पर गया। जहां पर अप्रार्थी उपस्थित मिला। मौके पर Lal Mirch Powder (Brand Arihant) के 30 पैकेट रखे हुए थे, जो प्रत्येक पैकेट 500 ग्राम का था, जो आमजन को बिक्री हेतु रखा गया था, जिसमें मिलावट का शक हुआ। इसलिए रूबरू गवाहान के सामने प्रपत्र 5 ए भरकर दिया व प्रपत्र 5 ए की दूसरी प्रति पर रसीद प्राप्त कर गवाहान व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाए। बिक्री हेतु रखे Lal Mirch Powder (Brand Arihant) के 500–500 ग्राम के चार मूल पैकेट वास्ते जॉच हेतु क्रय किया तथा इसका मूल्य 260 रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की तथा उक्त क्रयसुदा Lal Mirch Powder (Brand Arihant) को चार भागों में विभक्त कर लेबल तैयार कर कोड व सिरियल नम्बर आर–637 अंकित किया एवं नमूना का विवरण अंकित कर मौका फर्द तैयार की गई, जिस पर अप्रार्थी गणेशराम के हस्ताक्षर है। उक्त सीलबन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन में प्रार्थी द्वारा लिया गया Lal Mirch Powder (Brand Arihant) को Mis Branded पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा Mis Branded Lal Mirch Powder (Brand Arihant) का विनिर्माण एवं विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थीगण दोषी है। अतः

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने अप्रार्थी के लिखित जवाब में उल्लेखित तथ्यों का कथन करते हुए निवदेन किया कि अप्रार्थी किराणे का व्यवसाय करता है तथा उसकी दुकान पर विभिन्न कंपनियों का पैकिंग माल बेचता है। उक्त प्रकरण में विवादित खाद्य सामग्री अप्रार्थी द्वारा अरिहन्त फूड प्रोडक्ट (अरिहंत एन्टरप्राईजेज) द्वारा जिस अवस्था में प्राप्त हुआ था उसी अवस्था में उसका बेचान किया जाता है। अतः अप्रार्थी द्वारा मिलावट का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। अतः अप्रार्थी को दोषमुक्त किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 07.03.2017 को अप्रार्थी की दुकान से Lal Mirch Powder (Brand Arihant) क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर–637 अंकित कर सीलबन्द किया गया तथा नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए जन स्वास्थ्य प्रयोंगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस./201/एक्ट/2017/202 दिनांक 17.03.2017 के अनुसार उक्त नमूना कोड संख्या आर–637 को Mis Branded under section 3(1)(zf)(C)(i) माना है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अध्याय 6 के नियम 26 (2) का उल्लंघन है, जो इसी अधिनियम के अध्याय 9 की धारा 52 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है। चूंकि अप्रार्थी द्वारा उक्त खाद्य सामग्री की खरीद अरिहन्त एन्टरप्राईजेज से किया गया है इस सन्दर्भ में कोई बिल पेश नहीं किया गया है इसलिए यह स्पष्ट नहीं होता कि यह सामग्री अरिहन्त एन्टरप्राईजेज से क्रय की गई है। लैब की रिपोर्ट अनुसार मिर्च के पैकेट पर बैच नम्बर, मैनुफक्चुरिंग/पैकिंग की दिनांक अंकित नहीं है तथा सामग्री की सूची, मात्रा एवं पोषण जानकारी अंकित नहीं होने से मिस ब्राण्ड माना है, जो न्यायोचित प्रतीत होता है तथा जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) विनियमन 2011 के बिन्दु संख्या 2.2.2 (3) (ii) के साथ साथ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) का भी उल्लंघन है, जो धारा 52 के तहत शास्ति योग्य हैं।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) (2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा Mis Branded खाद्य वस्तु Lal Mirch Powder (Brand Arihant) का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 52 के तहत अप्रार्थी पर 25000/– अक्षरे पचीस हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(चन्द्रभानसिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 17.11.21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभानसिंह भाटी)
न्यायिक निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली